मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

शिशपाल पुत्र बलवन्त सिंह जाति – जाट निवासी जनाणा बनाम 1. बलवन्त सिंह पुत्र रामसिंह 2. मनजीत 3. कौशल्या पु० बलवन्त सिंह जाति जाट नि० जनाणा। 4. राज० सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

दावा बाबत :– 88 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 197/2021

निर्णय दिनांक :– 03/12/2021

वादी की ओर से वकील धर्मपाल बेरवाल की व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से वकील सतवीर बेनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03/12/21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि रोही मौजा चक 8 JGW के खाता संख्या 123/202 के मु. नं. 10 के किला नं. 9 ता 21, मु. नं. 11 के किला नं. 16, 25, मु. नं. 14 के किला नं. 3 ता 8, 14, मु. नं. 15 के किला नं. 1, 10 इस प्रकार कुल किता 24 की कुल 6.072 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 बलवन्त सिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में वादी बलवन्त सिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी शिशपाल व प्रतिवादी सं.1 मनजीत व प्रतिवादी सं. 2 कौशल्या को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा हो। यदि भूमि बैंक के रहन दर्ज हो तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़